छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 9 फरवरी, 2009

(माघ - 20, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14 एवं 18 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16 एवं 17 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री मोहम्मद अकबर, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, डॉ(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री रामदयाल उईके, लखमा कवासी, नंदकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, महंत रामसुंदर दास एवं श्री मोहम्मद अकबर अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 2 तारांकित एवं 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश में अंधविश्वास के कारण हो रही घटनाओं को रोकने में सरकार की असफलता की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने जिला-धमतरी, ग्राम-कोडेगांव में पुरातत्व की बेशकीमती सामग्री का संग्रहण और संरक्षण, तथा

(2) श्री दीपक पटेल, सदस्य ने खनिज कोयला उत्खनन से आवागमन में अवरोध एवं सड़क जर्जर होने संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री चैतराम साहू

(2) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर

5. सदन को सूचना

चिकित्सकीय परीक्षण शिविर का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिए विधान सभा भवन स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय में दिनांक 10 फरवरी से 13 फरवरी, 2009 तक चिकित्सकीय परीक्षण शिविर आयोजित है। माननीय सदस्य प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे के मध्य चिकित्सकीय परीक्षण शिविर का लाभ लेवें। दिनांक 10 फरवरी, 2009 को शिविर प्रातः 10.30 बजे आयोजित होगा।

(12.14 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

6. वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक का उपस्थापन

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 10 एवं 11 फरवरी, 2009 की तिथियाँ आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नियत की गईं।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना दिनांक 10 फरवरी, 2009 को अपराह्न 3.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है । कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

अपराह्न 3.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 10 फरवरी, 2009 (माघ 21, शक संवत् 1930) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा